न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, अरांई

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण (आरएएस)

प्रार्थना पत्र क्रमांक 87/2024

1. गोविन्द पुत्र रिद्धकरण
2. रामराज पुत्र रिद्धकरण
3. शोदान पुत्र रिद्धकरण
4. निरमा पत्नी गोपी
5. रामसिंह पुत्र मगना
6. सुरता पत्नी श्योराज
7. सुरज्ञान पत्नी गुमानमल

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राज. ।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थितः वकील प्रार्थी दौराने बहस

दिनांक 28/11/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने हमारे समक्ष पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त की सहखातेदारी की भूमि ग्राम काकलवाडा तहसील अरांई में स्थित भूमि खाता संख्या 135 खसरा संख्या 261 व 58 कुल किता 02 कुल रकबा 4.4657 हैक्टेयर स्थित है जिसमें जो भूमि प्रार्थीगणों को जरिये उपहार प्रलेख दिनांक 06.08.2020 के द्वारा चतरा पुत्र सूजा से प्राप्त हुई है जिसमें उपहार प्रलेख क्रमांक 202003181101432 दिनांक 06.08.2020 में प्रार्थी संख्या 01 से 04 प्रत्येक को 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 05 से 07 प्रत्येक को 1/12 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के उपहार की गई थी। श्रीमान यह है कि उक्त उपहार प्रलेख का नामान्तरण संख्या 872 दिनांक 22.09.2020 को भरा गया जिसमें त्रुटिवश सभी प्रार्थीगणों का हिस्सा 1/14, 1/14 बराबर कर दिया गया जो कि विधिविरुद्ध है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम काकलवाडा के खाता संख्या 135 खसरा संख्या 261 व 58 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 4.4657 हैक्टेयर में प्रार्थीगणों के हिस्सों को उपहार प्रलेख के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार अरांई को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.08.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 87/2024 पर दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 18.10.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि ग्राम काकलवाडा तहसील अरांई में स्थित भूमि खाता संख्या 135 खसरा संख्या 261 व 58 कुल किता 02 कुल रकबा 4.4657 हैक्टेयर स्थित है जिसमें उक्त भूमि प्रार्थीगणों को जरिये उपहार प्रलेख दिनांक 06.08.2020 के द्वारा चतरा पुत्र सूजा से प्राप्त हुई थी जिसमें उपहार प्रलेख क्रमांक 202003181101432 दिनांक 06.08.2020 में प्रार्थी संख्या 01 से 04 प्रत्येक को 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 05 से 07 प्रत्येक को 1/12 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख के उपहार की गई, जिसका नामान्तरण संख्या 872 दिनांक 22.09.2020 को भरा गया जिसमें सभी प्रार्थीगणों का हिस्सा 1/14, 1/14 बराबर कर दिया गया तथा उसी के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, श्रीमान से निवेदन है कि उपहार प्रलेख के अनुसार दुरुस्ती किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

हमारे द्वारा तहसीलदार अरांई के जवाब का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपबब्ध दस्तावेज उपहार प्रलेख दिनांक 06.08.2020 क्रमांक 202003181101432 से स्पष्ट है कि उक्त भूमि में चतरा पुत्र सूजा द्वारा वादअधीन भूमि खसरा संख्या 261 व 58 में अपने निहित हिस्से 1/2 में से प्रार्थी संख्या 01 से 04 को पृथक पृथक 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 05 से 07 प्रत्येक को 1/12 हिस्सा उपहार किया था लेकिन राजस्व रिकार्ड मे उक्त हिस्से का अशुद्ध अंकन है। तहसीलदार अरांई ने भी उक्तानुसार शुद्वी हेतु अनुशंषा की है।

आदेश

अतः संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार अरांई की अनुशंषा तथा वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वह रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख क्रमांक 202003181101432 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार ग्राम काकलवाडा पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई स्थित भूमि खाता संख्या 135 के खसरा संख्या 261 व 58 कुल किता 02 कुल रकबा 4.4657 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 01 गोविन्द पुत्र रिद्धकरण का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 रामराज पुत्र रिद्धकरण का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 शोदान पुत्र रिद्धकरण का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 04 निरमा पत्नी गोपी का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 05 रामसिंह पुत्र मगना का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 06 सुरता पत्नी श्योराज का 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 07 सुरज्ञान पत्नी गुमानमल का 1/12 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अंकन करे, यदि किसी प्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण लिया गया है तो बैंक का रहन उसके नवीनतम हिस्से तक ही रहेगा, शेष जमाबन्दी इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

आदेश आज दिनांक 28/11/2025 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हमारे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)